

प्रेषक,

गोपाल मीणा,  
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
गोपालगंज/सहरसा/मधुवनी।

पटना, दिनांक :- 6-9-16

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड-पी 2230011140102) राज्य योजना स्कीम कोड-LAB-5234 के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2204 दिनांक-19.05.16 के आलोक में चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष- 2016-17 में 31 मार्च 2017 तक व्यय के निमित्त " बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि रू० 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र प्रति मृतक मजदूर की दर से उनके आश्रित को भुगतान हेतु निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

क्र० सं०	जिला का नाम	मृतक मजदूरों की संख्या	प्राथमिक इकाई	आवंटित राशि	अभ्युक्ति (मृतक का नाम एवं पता)
1	2	3	4	5	6
1	गोपालगंज	01	31-06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	100000/- (एक लाख)	जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक-365 दिनांक-13.08.16 के आलोक में मृतक स्व० मनिष कुमार सिंह आश्रित मु० फुलपति देवी(माता), ग्राम-सडार, पो०-अक्षयवर पिपरा, प्रखण्ड-बरौली, जिला-गोपालगंज के भुगतान हेतु ।
2	सहरसा	01	तदैव	100000/- (एक लाख)	जिला पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक 59, दिनांक 18.02.16 के आलोक में (1) मृतक स्व० चंदन कुमार आश्रित श्री नारायण साह (पिता), ग्राम-अर्जुनपुर, पो०-गोलमा, थाना-सौरबाजार, प्रखण्ड-पतरघट, अनुमंडल-सहरसा सदर, जिला-सहरसा के भुगतान हेतु ।
3	मधुवनी	01	तदैव	100000/- (एक लाख)	जिला पदाधिकारी, मधुवनी का ज्ञापांक 716, दिनांक 22.08.2016 के आलोक में मृतक स्व० दिनेश राय पिता श्री विहारी राय, आश्रित मुसो० निभा राय (पत्नी) ग्राम-सपौली, पो०+थाना-रूपौली/धैरव स्थान, प्रखंड-झंझारपुर जिला-मधुवनी के भुगतान हेतु ।
	कुल	03		300000/-	

कुल आवंटित राशि रूपये 3,00,000/- (रूपये तीन लाख) मात्र ।

2. अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत इसकी जाँच पड़ताल कर मृतक के वैध आश्रित को भुगतान किया जाय । भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को फैक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-423/वि० दिनांक-31.03.16, पत्रांक-4572/वि० दिनांक-03.06.2016 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।

4. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।



5. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।
6. विभागीय अधिसूचना सं.-1/आई.एम.एल.-06/2016 श्र.सं.-3023 दि.-14.7.16 के आलोक में लाभूकों को अनुदान की राशि का भुगतान RTGS (Real Time Gross Settlement) पद्धति से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
7. यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,  
05/09/16  
(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापक-6/एफ1-309/16 श्र0सं0- 68 पटना, दिनांक 6-9-16  
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

05/09/16  
(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापक-6/एफ1-309/16 श्र0सं0- 68 पटना, दिनांक- 6-9-16  
प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/  
\*संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/ आई०टी०मैनेजर,  
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/श्रमायुक्त के सचिव एवं प्रशाखा-01 (श्रम पक्ष) को उनके मै०स०प्रे०सं०-273 (श्रम पक्ष) क्रमशः दिनांक-30.8.16 के आलोक में/ प्रशाखा-6, बजट शाखा, श्रम पक्ष को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा ।

05/09/16  
(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार।

\*स्पीड  
पोस्ट